(508)

पत्रांक–9 / विविध–14–09 / 2013, सा0प्र0 7184 /

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष,
ग्रामीण कार्य विभाग,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
वाणिज्य–कर विभाग,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
संसदीय कार्य विभाग,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
शिक्षा विभाग,
सूचना एवं जन संपर्क विभाग,
सहकारिता विभाग,
जल संसाधन विभाग,
बिहार राज्य योजना पर्षद,
वित्त विभाग,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पटना 15, दिनांक–13.6 . 2017

विषयः– सामान्य प्रशासन विभाग के विभागीय आदेश संख्या–3336 एवं 3339 दिनांक 20.03.2017 के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग– महालेखाकार कार्यालय के ज्ञापांक–53 दिनांक–26.04.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र (प्रति संलग्न) के संबंध में कहना है कि कतिपय कर्मियों की वेतन पर्ची महालेखाकार कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

उल्लेखनीय है कि बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के निजी सहायक एवं आप्त सचिव का वेतन पर्ची महालेखाकार कार्यालय द्वारा निर्गत नहीं होता है। अतः अनुरोध है कि विभागीय आदेश संख्या 3336 दिनांक–20.03.2017 एवं 3339 दिनांक–20.03.2017 के आलोक में संलग्न सूची में वर्णित अपने विभाग से संबंधित कर्मियों का संशोधित किये गये वेतन निर्धारण की प्रति महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करते हुए इस आशय की सूचना सामान्य प्रशासन विभाग को भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

अनु0– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

13/6/17

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9 / विविध–14–09 / 2013, सा0प्र0 7184 / पटना–15, दिनांक– 13.6. 2017

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक–53 दिनांक–26.04.2017 के आलोक में / अवर सचिव (स्था0 / लेखा), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/6/17

सरकार के अवर सचिव।

(509)

स्मार पत्र

पत्रांक–9/विविध–14–09/2013, सा0प्र0...10043.../

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रधान सचिव/सचिव/विभागाध्यक्ष,
ग्रामीण कार्य विभाग,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
वाणिज्य–कर विभाग,
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग,
संसदीय कार्य विभाग,
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
शिक्षा विभाग,
सूचना एवं जन संपर्क विभाग,
सहकारिता विभाग,
जल संसाधन विभाग,
बिहार राज्य योजना पर्षद,
वित्त विभाग,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पटना 15, दिनांक 9/8/, 2017

विषयः– सामान्य प्रशासन विभाग के विभागीय आदेश संख्या–3336 एवं 3339 दिनांक 20.03.2017 के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग– सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक–7184 दिनांक–13.06.2017

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में स्मारित करते हुए कहना है कि बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के कतिपय कर्मियों का विभागीय आदेश संख्या 3336 दिनांक–20.03.2017 एवं 3339 दिनांक–20.03.2017(प्रति संलग्न) के आलोक में प्रासंगिक पत्र द्वारा पत्र के साथ संलग्न सूची में वर्णित अपने विभाग से संबंधित कर्मियों का संशोधित किये गये वेतन निर्धारण की प्रति महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करते हुए उसकी एक प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को भी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था।

इस संबंध में कोई भी सूचना विभाग को अबतक प्राप्त नहीं हुई है। अतः अनुरोध है कि संबंधित कर्मियों के वेतन निर्धारण संबंधी सूचना विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।
9-8-17

ज्ञापांक–10043

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना को उनके ज्ञापांक–53 दिनांक–26.04.2017 के आलोक में / अवर सचिव (स्था0/लेखा), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव।

E:\VINAY KUMAR\LETTER.docx

486

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

आ0संख्या–9 / विविध–14–09 / 2013, सा0प्र0 3326 / पटना–15, दिनांक 20-3-17

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या–300, दिनांक–17.07.2015, द्वारा निम्नांकित कर्मियों को वरीयता में कनीय कर्मियों को वरीय से अधिक वेतन होने के फलस्वरूप ह्रासमान वैयक्तिक वेतन स्वीकृत करते हुए वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया था :–

क्र0	नाम / पदनाम	नि0स0 के पद पर योगदान की तिथि, मूल वेतन एवं वेतनमान	दिनांक 02.09.1987 को प्राप्त वेतन (रूपये में)	ह्रासमान वैयक्ति वेतन की तिथि एवं राशि (रूपये में)
1.	श्री अजय कुमार सिंह, आप्त सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग	16.07.1988 अप0 1500 1500–2750	21.09.1991–1650	21.09.1991 से–400
2.	श्री दशरथ प्रसाद, सेवानिवृत्त आप्त सचिव, वाणिज्य कर विभाग	18.07.1988 अप0 1500 1500–2750	21.09.1991–1650	21.09.1991 से–400
3.	श्री अर्जुन प्रसाद नं0–2, आप्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	18.07.1988 1500 1500–2750	21.09.1991–1650	21.09.1991 से–400
4.	श्री हृषिकेश तिवारी, सेवानिवृत्त निजी सहायक, संसदीय कार्य विभाग	20.07.1988 अप0 1500 1500–2750	21.09.1991–1650	21.09.1991 से–400
5.	श्री सुधीर कुमार सिन्हा, आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	20.07.1988 अप0 1500 1500–2750	21.09.1991–1650	21.09.1991 से–400
6.	श्री वेदरंजन शर्मा, आप्त सचिव, वाणिज्य कर विभाग (वाणिज्य कर न्यायाधीकरण)	21.07.1988 1500 1500–2750	21.09.1991–1650	21.09.1991 से–400
7.	श्री इरफान अहमद, निजी सहायक, शिक्षा विभाग	27.07.1988 अप0 1500 1500–2750	21.09.1991–1650	21.09.1991 से–400
8.	श्री शंकर प्रसाद, आप्त सचिव, सूचना एवं जन संपर्क विभाग	28.07.1988 1500 1500–2750	21.09.1991–1650	21.09.1991 से–400

185

9.	श्री वशिष्ट कुमार मिश्र, आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	29.07.1988 1500 1500–2750	21.09.1991–1650	21.09.1991 से–400
10.	श्री सुधीर कुमार झा, आप्त सचिव, सहकारिता विभाग	30.07.1988 1500 1500–2750	21.09.1991–1650	21.09.1991 से–400
11.	श्री शिवलाख पति लाल, आप्त सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग	30.07.1988 अप0 1500 1500–2750	21.09.1991–1650	21.09.1991 से–400
12.	श्री ब्रज भूषण प्रसाद, सेवानिवृत्त निजी सहायक, जल संसाधन विभाग	01.08.1988 1500 1500–2750	21.09.1991–1650	21.09.1991 से–400
13.	श्री कपिलदेव प्रसाद, निजी सहायक, शिक्षा विभाग	01.08.1988 1500 1500–2750	21.09.1991–1650	21.09.1991 से–400
14.	श्री धर्मेद्र कुमार ब्रह्मचारी, आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग	01.08.1988 1500 1500–2750	21.09.1991–1650	21.09.1991 से–400
15.	श्री बृजेन्द्र कुमार पाण्डेय, आप्त सचिव, बिहार राज्य योजना पर्षद	01.08.1988 1500 1500–2750	21.09.1991–1650	21.09.1991 से–400
16.	श्री बैजनाथ प्रसाद गुप्ता, आप्त सचिव, वित्त विभाग	14.09.1988 1500 1500–2750	21.09.1991–1650	21.09.1991 से–400
17.	श्रीमती कान्ती कुमारी, आप्त सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग	28.12.1988 अप0 1500 1500–2750	21.09.1991–1600	21.09.1991 से–450
18.	श्री नवीन कुमार शर्मा, आप्त सचिव, मन्त्रिमंडल सचिवालय विभाग	10.01.1989 1500 1500–2750	21.09.1991–1600	21.09.1991 से–450
19.	श्री अमरेन्द्र कुमार वर्मा, आप्त सचिव, विभागीय जाँच आयुक्त का कार्यालय (सामान्य प्रशासन विभाग)	22.04.1989 अप0 1500 1500–2750	21.09.1991–1600	21.09.1991 से–450
20.	श्री अवधेश सिंह, सेवानिवृत्त निजी सहायक, कृषि विभाग	29.04.1989 अप0 1500 1500–2750	21.09.1991–1600	21.09.1991 से–450

बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के प्रावधान संख्या– 2.4 'ए' के तहत मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की दिनांक–09.

02.2017 को अपराह्न 4:00 बजे सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उपर्युक्त कर्मियों को अबतक दिये गये वेतन संरक्षण का वित्तीय लाभ की वसूली नहीं करने के शर्त के साथ, विभागीय आदेश संख्या–300, दिनांक–17.07.2015 को वापस लिया जाता है।

20/3/17

(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9/विविध–14–09/2013, सा0प्र0 3336/पटना–15, दिनांक 20-3-17

प्रतिलिपिः– सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी आयोग/महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार/वित्त विभाग (प्रशाखा–3), बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना एवं सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/17

सरकार के अवर सचिव।

480

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

आदेश

आ0संख्या–9 / विविध–14–09 / 2013, सा0प्र0 3339 / पटना–15, दिनांक 20-3-17

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या–332, दिनांक–10.08.2015, द्वारा निम्नांकित कर्मियों को वरीयता में कनीय कर्मियों को वरीय से अधिक वेतन होने के फलस्वरूप ह्रासमान व्यक्तिक वेतन स्वीकृत करते हुए वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान किया गया था :–

क्र0	नाम / पदनाम	नि0स0 के पद पर योगदान की तिथि, मूल वेतन एवं वेतनमान	दिनांक 02.09.1987 को प्राप्त वेतन (रूपये में)	ह्रासमान वैयक्ति वेतन की तिथि एवं राशि (रूपये में)
1.	श्री उमेश चन्द्र प्रसाद, निजी सहायक, ग्रामीण कार्य विभाग	21.07.1988 अप0 1500 1500–2750	21.09.1991–1650	21.09.1991 से–400
2.	श्री अर्जुन प्रसाद नं0–1, आप्त सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	23.07.1988 1500 1500–2750	21.09.1991–1650	21.09.1991 से–400

बिहार राज्य मुकदमा नीति, 2011 के प्रावधान संख्या– 2.4 'ए' के तहत मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की दिनांक–09.02.2017 को अपराह्न 4:00 बजे सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में उपर्युक्त कर्मियों को अबतक दिये गये वेतन संरक्षण का वित्तीय लाभ की वसूली नहीं करने के शर्त के साथ, विभागीय आदेश संख्या–332, दिनांक–10.08.2015 को वापस लिया जाता है।

20/3/17
(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–9 / विविध--14–09 / 2013, सा0प्र0 3339 / पटना–15, दिनांक 20-3-17

प्रतिलिपिः– सभी विभाग / विभागाध्यक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी आयोग / महालेखाकार, बिहार, पटना / सभी संबंधित कोषागार / वित्त विभाग (प्रशाखा–3), बिहार, पटना / वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना एवं सभी संबंधित कर्मियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/3/17
सरकार के अवर सचिव।